मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

पत्र क्रमांक:प्राविवि/निक्षेप/संविसं/2020/592 भोपाल, दिनांक 10 फरवरी, 2020

प्रति

1. संभागायुक्त, (समस्त)
2. कलेक्टर, (समस्त)
3. उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल/इंदौर
4. पुलिस अधीक्षक, (समस्त)

विषय:-जनता के धन की सुरक्षा हेतु विधि अंतर्गत कार्यवाही करने बावत ।

राज्य शासन के वचन पत्र में जनता के धन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का उल्लेख है । प्रदेश के अनेक जिलों से यह शिकायतें प्राप्त होती है कि कतिपय संस्थायें/कंपनियाँ/वित्तीय स्थापनायें (संस्थायें) आम जनता से निक्षेप (डिपाजिट) प्राप्त करती हैं, जबकि वे विधि अनुसार ऐसे निक्षेप प्राप्त करने के लिये सक्षम नहीं है । ऐसी अनेक संस्थायें नियत समयावधि पर निक्षेप जमाकर्ताओं को वापस नहीं करती है; कई संस्थायें अचानक अपना कार्यालय बंद करके गायब हो जाती हैं । जनता से निक्षेप प्राप्त करने के लिये ऐसी संस्थायें कई बार उच्च ब्याज दर का प्रलोभन देती हैं, तथा स्थानीय युवकों को अपना कलेक्शन एजेंट नियुक्त करती है ।

2/ ऐसी संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही हेतु वर्तमान में प्रदेश में ''मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000'' (राज्य अधिनियम) तथा दि बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स अधिनियम, 2019 (केन्द्रीय अधिनियम) लागू है । राज्य के अधिनियम में जिला कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी नियुक्त हैं जबकि केन्द्रीय अधिनियम में संभागायुक्त को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है । साथ ही जिले के अपर कलेक्टर को अपने कार्य-क्षेत्र के लिये सक्षम प्राधिकारी की सहायता करने हेतु भी केन्द्रीय अधिनियम में नियुक्त किया गया है । निक्षेपकों के हितों को संरक्षित करने हेतु वर्तमान व्यवस्था के संबंध में एक टीप तैयार की गई है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है ।

3/ राज्य शासन की अपेक्षा है कि समस्त जिलों में ऐसी संस्थायें जो विधि का पालन किये बिना निक्षेपकों से धन प्राप्त करती हैं, के विरूद्ध अभियान चलाया जाये तथा जमाकर्ताओं को उनकी राशि वापस कराई जायें तथा उपरोक्त उल्लिखित अधिनियमों के अंतर्गत कठोर कानूनी कार्यवाही की जाये । संभाग स्तर पर इस अभियान की समीक्षा संभागायुक्त द्वारा जिला कलेक्टरों की संभागीय मासिक बैठक में की जायें । जिला स्तर पर शिकायतों की मासिक समीक्षा जिला कलेक्टर द्वारा की जाये ।

4/ आपके द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में प्रतिवेदन 05.03.2020 तक आयुक्त, संस्थागत वित्त को उपलब्ध करायें ।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार ।

10/2/2020

(डॉ. मनोज गोविल)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग

पृ.क्रमांक:प्राविवि/निक्षेप/संविसं/2020/593 भोपाल, दिनांक 10 फरवरी, 2020

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल
2. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल
3. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, भोपाल
6. आयुक्त, सहकारी समितियाँ, मध्यप्रदेश, विन्ध्याचल भवन, भोपाल
7. आयुक्त, जन संपर्क, मध्यप्रदेश बाणगंगा, भोपाल
8. महानिदेशक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल
9. महानिदेशक, लोक अभियोजन, मध्यप्रदेश भोपाल
10. अपर पुलिस महानिदेशक, राज्य सायबर प्रकोष्ठ, भोपाल
11. अपर पुलिस महानिदेशक, सी.आई.डी., भोपाल
12. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

10/2/2020

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग

निक्षेपकों के हितों के संरक्षण हेतु वर्तमान में प्रभावशील व्यवस्था

वर्तमान में प्रदेश में "मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000" (राज्य अधिनियम) तथा दि बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स अधिनियम, 2019 (केन्द्रीय अधिनियम) लागू हैं।

2/– राज्य शासन का मुख्य उद्येश्य यह है कि प्रदेश की जनता से किसी प्रकार की धोखाधड़ी/अत्यधिक आय का लालच देकर उनकी जमा पूंजी को ऐसी वित्तीय स्थापनाएं अचानक गायब न हो और निवेशकों द्वारा जमा की गई राशि उन्हें वापिस प्राप्त हो जाये।

3/– राज्य के अधिनियम में निक्षेप की वापसी में व्यतिक्रम होने पर ऐसी निक्षेप प्राप्त/स्वीकार करने वाली वित्तीय स्थापना के विरूद्ध कार्यवाही का प्रावधान है जबकि केन्द्रीय अधिनियम में धोखाधड़ी करने वाला डिफाल्ट (commit any fraudulent default) करने पर ही कार्यवाही करने का प्रावधान है।

I. राज्य के अधिनियम के तहत् वर्तमान व्यवस्था

i. राज्य के अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियम अधिसूचित किये गये हैं, जो वर्तमान में प्रभावशील है।

ii. राज्य के अधिनियम के तहत इसके प्रयोजनों के लिये सभी जिलों के जिला कलेक्टरों को उनकी अधिकारिता के भीतर सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

iii. राज्य अधिनियम के अधीन मामलों के निपटारे के लिये सभी जिलों हेतु पृथक–पृथक विशेष न्यायालय भी पदाभिहित किये गये हैं।

iv. सामान्यतः, यह देखने में आया है कि सक्षम प्राधिकारी अपने आदेश में चिटफण्ड कम्पनी का उल्लेख करते हैं, जो कि सही नहीं है। मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का सरक्षण अधिनियम, 2000 में वित्तीय स्थापना को परिभाषित किया गया है। अतः, जब भी आदेश जारी किये जाये तो वित्तीय स्थापना शब्द का उपयोग किया जाये।

v. अधिनियम की धारा 3 में सक्षम प्राधिकारी का समाधान होने पर वित्तीय स्थापना के संप्रर्वतक, भागीदार, निदेशक, प्रबंधक या सदस्य की ऐसी अन्य सम्पत्ति को भी कुर्क करने का प्रावधान है।

vi. अधिनियम की धारा 4 में निक्षेपों की वापसी में व्यतिक्रम होने पर सम्पत्तियों की कुर्की हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतःकालीन आदेश जारी करने का प्रावधान है तथा

धारा 8 में विशेष न्यायालय द्वारा ऐसे आदेश को आत्यंतिक बनाने का प्रावधान है। अतः, इन प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही तत्काल की जाना चाहिये।

II. केन्द्रीय अधिनियम के तहत् वर्तमान व्यवस्था

i. केन्द्रीय अधिनियम में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा नियम बनाने का कार्य किया जा रहा है तथा अधिसूचित किये जाने पर पृथक से अवगत कराया जायेगा।

ii. वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ 2702/3047/2019/ई/चार दिनांक 27–11–2019 से संभागीय आयुक्त को उनके अपने क्षेत्राधिकार के भीतर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, धारा 30 के प्रावधानों को छोड़कर, सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

iii. वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ 2704/3047/2019/ई/चार दिनांक 27–11–2019 से भारसाधक सचिव, गृह विभाग, मध्य प्रदेश शासन को इस अधिनियम की धारा 30 के प्रयोजनों के लिये सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

iv. वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ 2700/3047/2019/ई/चार दिनांक 27–11–2019 से सक्षम प्राधिकारी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सहायता करने के लिये प्रत्येक जिले में पदस्थ अपर कलेक्टर्स को उनके अपने–अपने क्षेत्राधिकार के भीतर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियुक्त किया गया है।

v. विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्र. 17(E) 2-2020-XXI-B(one)-65-2020 दिनांक 24 जनवरी, 2020 से सभी सिविल जिलों की स्थानीय सीमा के भीतर IInd Additional District & Session Judge को केन्द्रीय अधिनियम के तहत् विशेष न्यायालय पदाभिहित किया गया है।

vi. केन्द्रीय अधिनियम में अविनियमित जमा योजनाओं (unregulated deposit schemes) को प्रतिबंधित किया गया है।

vii. केन्द्रीय अधिनियम की प्रथम अनुसूची (The First Schedule) में विनियमित जमा योजनाओं (regulated deposit schemes) तथा ऐसी जमा योजनाओं के नियामक (regulators) का प्रावधान है। इस अनुसूची के अलावा किसी भी प्रकार की जमा योजनाएं संचालित नहीं की जा सकती है।

III. राज्य शासन द्वारा संभागायुक्त/जिला कलेक्टर को दिया गया परामर्श

वर्तमान में केन्द्र एवं राज्य अधिनियम दोनों के प्रभावशील होने के फलस्वरूप वित्त विभाग द्वारा पत्र क्र. प्राविवि/बीयूडीएस–अधि/संविसं/2019/4136 दिनांक 30 नवम्बर, 2019 से निम्नानुसार परामर्श दिया गया है कि:–

i. राज्य अधिनियम में वर्तमान में प्रचलित सभी प्रकरण यथावत रहेगें।

ii. यदि किसी नये प्रकरण में केन्द्रीय अधिनियम के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है तो राज्य अधिनियम के तहत ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

iii. यदि किसी नए प्रकरण में केन्द्रीय तथा राज्य (दोनों) अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाई की जाना अनुमत है, तो ऐसे प्रकरणों में केवल केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाई की जाए।

IV. जनता से जमा जुटाने के विभिन्न तरीके तथा विनियमन करने वाली संस्थाएं

क्र.	जमा जुटाने का तरीका/संस्थाएं	विनियमन करने वाली संस्था
1.	बैंककारी विनियमन अधिनियम में यथा परिभाषित किसी अधिसूचित बैंक या किसी सहकारी बैंक या किसी अन्य बैंकिंग कम्पनी, जिसमें सार्वजनकि/निजी क्षेत्र की बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/स्मॉल फायनेंस बैंक/ पेमेंट्स बैंक	भारतीय रिजर्व बैंक
2.	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, माइक्रो फायनेंस कम्पनियां द्वारा प्राप्त की गई जमा	भारतीय रिजर्व बैंक
3.	वित्तीय स्थापनाओं द्वारा जमा एकत्रित करना	मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही
4.	प्राईज चिट/मनी सर्कूलेशन स्कीम	दि प्राईज चिट्स एण्ड मनी सर्कूलेशन (बैनिंग) एक्ट, 1978 के तहत राज्य शासन द्वारा नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी
5.	चिट फण्ड का व्यवसाय	दि चिट फण्ड एक्ट, 1982 के अंतर्गत राज्य शासन की अनुमति के बगैर ऐसा कार्य करने पर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही
6.	राज्य के अधिनियम में पंजीकृत सहकारी समितियां	मध्य प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के तहत जिला/ संभाग/राज्य स्तरीय सहकारिता विभाग, म0प्र0 शासन के अधिकारीगण्
7.	डीम्ड जमा राशि सहित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान अंतर्गत अनुमत/स्वीकार की गई जमा राशियां	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज़, मध्य प्रदेश, ग्वालियर/कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
8.	निधि अथवा म्यूचअल बेनिफिट सोसाइटी	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज़, मध्य प्रदेश, ग्वालियर/कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
9.	म्यूचअल फण्ड्स/कलेक्टिव इंवेस्टमेंट स्कीम/एल्टरनेटिव इंवेस्टमेंट फण्ड/पोर्ट	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)

क.	जमा जुटाने का तरीका/संस्थाएं	विनियमन करने वाली संस्था
	फोलिओ मैनेजर्स/पब्लिक इश्यू/ प्रतिभूतियों का डीम्ड इश्यू/इन्वेस्टमेंट एडवाइजर/वेंचर केपिटल फण्ड्स आदि	
10.	मल्टी स्टेट सहकारी समितियां	केन्द्रीय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
11.	बीमा करार	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA)
12.	हाउसिंग फायनेंस कम्पनीज़	नेशनल हाउसिंग बैंक
13.	पेंशन फण्ड	पेंशन फण्ड रेग्यूलेटरी एण्ड उेवलपमेंट ऑथोरिटी

V. राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था

i. राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित है जिसकी प्रत्येक तिमाही पर बैठकें आयोजित होती है। उक्त समिति द्वारा विभिन्न पहलूओं पर चर्चा की जाकर निर्णय लिये जाते हैं।

ii. राज्य स्तरीय समिति की सुविधा हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग की अध्यक्षता में विधि प्रवर्तन एजेंसियों (law enforcement agencies) की उप–समिति गठित है जिसकी प्रत्येक तिमाही पर बैठकें आयोजित होती है। उक्त समिति द्वारा विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा विभिन्न मामलों/शिकायतों में की गई कार्यवाही की समीक्षा कर अपनी अनुशंसाएं राज्य स्तरीय समिति को प्रस्तुत की जाती है।

iii. राज्य स्तरीय समिति की सुविधा हेतु क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में विभिन्न नियामकों (various regulators) की उप–समिति गठित है जिसकी प्रत्येक तिमाही पर बैठकें आयोजित होती है। उक्त समिति द्वारा वित्तीय स्थापनाओं के नियामकों से संबंधित मामलों की समीक्षा कर अपनी अनुशंसाएं राज्य स्तरीय समिति को प्रस्तुत की जाती है।

VI. संभाग/जिला स्तर पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था

i. वर्तमान में संभाग/जिला स्तर पर मॉनिटरिंग हेतु किसी प्रकार की व्यवस्था निर्धारित नहीं है।

ii. जिला स्तर पर प्राप्त शिकायतों की मासिक समीक्षा जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से की जाये।

iii. संभाग स्तर पर प्राप्त शिकायतों की मासिक समीक्षा संभागायुक्त द्वारा जिला कलेक्टर्स की संभागीय मासिक बैठक में की जाये।

xxxxx